कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश, भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक / विधि / 2020 / 219 भोपाल दिनांक :— 02 / 09 / 2020

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
   संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
2. उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
   जिला समस्त मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी संस्थाऐं
   समस्त मध्यप्रदेश।

विषय :— वर्ष 2020 में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में निर्देश।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत कोविड—19 के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं की वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करने के संबंध में संभाग / जिला अधिकारियों / संस्थाओं द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

सहकारी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 06 माह के भीतर वार्षिक साधारण सम्मिलन आयोजित करना वैधानिक अनिवार्यता है। उक्त प्रावधान में किसी प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सभी सहकारी संस्थाओं को वार्षिक सम्मिलन / आमसभा समय पर आयोजित करने की सलाह दी जाये। जिसमें सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, सेनेटाईजर की समूचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। कोविड—19 के संबंध में शासन एवं प्रशासन स्तर से जारी किये गये मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करते हुए ही सभा स्थल पर बैठने की समस्त आवश्यक व्यवस्थायें की जावे।

कोविड—19 के दृष्टिगत आवश्यक होने पर सभा आयोजित करने हेतु कलेक्टर अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मिलन / आमसभा समय पर आयोजित कराई जाये।

(आशीष सक्सेना)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / विधि / 2020 / 219 भोपाल दिनांक :– 02 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय सहकारिता मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन।
5. कलेक्टर जिला समस्त।
6. समस्त राजपत्रित अधिकारी मुख्यालय / समस्त शाखाऐं। कृपया शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं संबंधितों को भी सूचित करे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त) म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाऐं
मध्यप्रदेश, भोपाल